



CCL

Fuelling Sustainable Growth

CENTRAL COALFIELDS LTD.

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम / कोल इंडिया लि. की एक अनुषंगी कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, राँची 834 001 (झारखण्ड)

CIN : U10200JH1956GOI000581

अधिकारी स्थापना विभाग / Executive Establishment Deptt

फ़ोन : (0651) 2360695 / Extn. 5144, ईमेल : gmee.ccl@coalindia.in

वेबसाइट : www.centralcoalfields.in

संख्या: सीसीएल/मप्र(का-अधि.स्था.)/कार्मिक/ विरमित /25/ 5066-86

दिनांक: 07/04/2025

कार्यालय आदेश/ OFFICE ORDER

सीआईएल के कार्यालय आदेश संख्या-CIL/C-5A(CC)/Prom.E5-E6_Pers/2024/B-195 दिनांक-26.02.2025 द्वारा कार्मिक संवर्ग के प्रबन्धक/ई5 ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति ₹ 90,000-2,40,000/- के वेतनमान में वरीय प्रबंधक/ ई6 ग्रेड में किया गया एवं उनके नाम के समक्ष उल्लेखित सीईएल की अनुषंगी कंपनी में स्थांतरण किया गया। एतद्वारा सीसीएल से उन्हें **16.04.2025 (अपराहन)** से विरमित किया जाता है।

Sl.No	EIS No	Name	Present place of posting	Transfer Place of Posting on Promotion
1.	90268061	Sri Allan R A Lakra	P&IR Deptt., CCL HQ	CIL/IICM

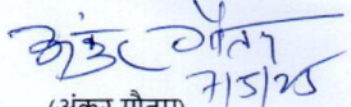
श्री एलन आर ए लकरा अपने वर्तमान कार्यस्थल से विरमित होने पर **कार्यकारी निदेशक, (Executive Director), आईआईसीएम** को रिपोर्ट करेंगे।

पदोन्नति पर, उपरोक्त अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे। स्थानतरित कंपनी में उच्च पद पर प्रभार ग्रहण के उपरांत ही उपर्युक्त अधिकारी की पदोन्नति उस तारीख से प्रभावी होगी।

संबन्धित अधिकारी को सीआईएल द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से **60 दिनों** के भीतर प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करना है अन्यथा पदभार ग्रहण न करने पर प्रोन्नति आदेश रद्द किया जा सकता है।

कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिनों में PRIDE भरना संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

यह आदेश सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति से किया जाता है।


(अंकुर गौतम)

उप प्रबन्धक (म.स.-अधि.स्था.)

वितरण ई ऑफिस द्वारा :

- निदेशक (वित्त)/ निदेशक (मानव संसाधन)/ निदेशक (परियोजना एवं योजना) /निदेशक (संचालन/तकनीकी) सीसीएल, राँची।
- एजीक्यूटिव डायरेक्टर, आईआईसीएम, राँची।
- सीएमडी के तकनीकी सचिव, सीसीएल, राँची।
- महाप्रबंधक(कार्मिक-अधि.स्था.), सीआईएल, कोलकाता।
- महाप्रबंधक/ विभागाध्यक्ष: (सतर्कता)/(अधि. स्था.)/(कार्मिक एवं औ.संबंध)/(प्रणाली)/(वित्त)/(प्रशासन)/(सामाजिक सुरक्षा), सीसीएल, राँची।
- मुख्य प्रबंधक /वरीय प्रबंधक (स्थापना) /(ईपीआर - वित्त), सीसीएल, राँची।
- प्रबंधक (कार्मिक), सीएमडी सचिवालय, सीसीएल, राँची।
- प्रबंधक/ उप-प्रबंधक(कार्मिक-अधि.स्था.),सीसीएल, राँची - आवश्यक अद्यतनीकरण हेतु।
- सहायक प्रबंधक (सीएमपीएफ - वित्त), सीसीएल, राँची।
- सहायक प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था./सीआर), सीसीएल, राँची - कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- संबंधित अधिकारी।
- व्यक्तिगत फ़ाइल।